



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 16(Mining)2021/एफसीए/प्रमुवसं/3633

दिनांक 02.11.2022

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

विषय:-Diversion of 248.5515 ha. of forest land in favour of DMG, Rajasthan in Pahadpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan.

(Proposal no. FP/RJ/MIN/149012/2021)

संदर्भ:-आपका पत्रांक 6706 दिनांक 13.10.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आलोच्य प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 8-14/2021-F (Vol) दिनांक 24.08.2022 के क्रम में प्रेषित सूचना के परीक्षाणोंपरांत निम्न कमियां पाई गई हैं:-

1. बिन्दु 1 के क्रम में आपकी एवं उप वन संरक्षक की टिप्पणी अपेक्षित है।
2. बिन्दु 2 के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा 560 हैक्टर, 279.206 है0, 155 है0 एवं 248.5515 है0 हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना प्रेषित की है, जबकि पार्ट-I अनुसार 580 है0, 156 है0, 248.5515 है0 एवं 290 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित क्षेत्र अनुसार सी.ए. योजना प्रस्तुत करें
3. बिन्दु 3 के क्रम में आपकी एवं उप वन संरक्षक की टिप्पणी अपेक्षित है।
4. बिन्दु 4 के क्रम में सेफ्टी जोन सीमा ऑनलाईन प्रपत्र के पार्ट I में अपलोड नहीं किया गया है।
5. बिन्दु 5 के क्रम में माईनिंग प्लान संलग्न करना अवगत कराया है, जबकि भारत सरकार ने ओपन कॉस्ट माईनिंग हेतु अनुमोदित रिक्लेमेशन प्लान चाहा है।

अतः भारत सरकार द्वारा वांछित सही एवं पूर्ण बिन्दुवार सूचना मय दस्तावेजों के तत्काल प्रस्तुत करें।

उक्त आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

दिनांक

क्रमांक: एफ. 16(Mining)2021/एफसीए/प्रमुवसं/

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. उप वन संरक्षक, भरतपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (खान) सतर्कता, पर्यावरण एवं विकास, नोडल अधिकारी वन मामलात, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर